



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032023-244701
CG-DL-E-25032023-244701

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 193]
No. 193]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 24, 2023/चैत्र 3, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 24, 2023/CHAITRA 3, 1945

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, नई दिल्ली

(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2023

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/50/2017/डीडी/108/2017/बीओडी/455/2018: चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 14 के उपनियम (9) के साथ पठित चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21क(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार संस्थान के अनुशासन बोर्ड ने सीए. विनय खेमचंद गुप्ता (सदस्यता संख्या 030747), फ्लैट नंबर 223, ओशिवारा शांतिवन सीएचएस लिमिटेड, न्यू लिंक रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई 400053 को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 22 के साथ पठित पहली अनुसूची के भाग 4 के खंड (2) के अर्थान्तर्गत 'अन्य कदाचार' का दोषी पाया है और उसके परिणामस्वरूप अनुशासन बोर्ड ने पूर्वोक्त नियमों के नियम 15 के उपनियम (1) के निबंधनानुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् सीए. विनय खेमचंद गुप्ता (सदस्यता संख्या 030747) के नाम को एक (01) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया और साथ ही उन पर 50,000 रुपए (केवल पचास हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया। इसके अनुसरण में और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. विनय खेमचंद गुप्ता (सदस्यता संख्या 030747) का नाम 24 मार्च, 2023 से 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./719/2022-23]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI*(Set up by an Act of Parliament)***NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th March, 2023

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/50/2017/DD/108/2017/BOD/455/2018: In terms of the provisions of Section 21A(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with sub-rule (9) of Rule 14 of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Board of Discipline has held **CA. Vinay Khemchand Gupta(Membership No. 030747), Flat No. 223, Oshiwara Shantivan CHS Ltd., New Link Road, Andheri (West), MUMBAI 400053**, guilty of 'Other Misconduct' falling within the meaning of Item (2) of Part IV of the First Schedule read with Section 22 of the aforesaid Act and consequently after affording an opportunity of being heard in terms of Rule 15(1) of the aforesaid Rules, ordered for removal of the name of **CA. Vinay Khemchand Gupta(Membership No. 030747)**, from the Register of Members for a period of 01(One) month and also imposed a fine of Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand) only. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that the name of said **CA. Vinay Khemchand Gupta(Membership No. 030747)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(One) month with effect from 24th March, 2023.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./719/2022-23]